

व्याख्या (Interpretation)

संग्रहालय जिन सामग्रियों को प्रस्तुत करता है या रखता है उसको दर्शक देखकर अपने अनुसार उसके विषय में समझता है और आनन्द लेता है। उसके पास न इतना समय है कि एक-एक के विषय में बैठकर मंथन करे और उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करे न उसका ज्ञान ही इतना गहन होता है कि ज्ञान की किसी भी शाखा की सामग्री संग्रहालय में रखी जाय तो उसकी जानकारी बिना सन्दर्भ ज्ञान के वह प्राप्त कर ले तथा सबका सन्दर्भ ज्ञान उसके पास हो ही। साथ ही, समय भी एक बहुत बड़ा तत्त्व है। किसी वस्तु (object) के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए गहन अध्येता को भी कठिनाई होगी क्योंकि कोई वृहस्पति तो है नहीं कि सभी कुछ वह सन्दर्भ के माध्यम से जान ही जायगा। जब तक वह पूरी तरह उसके विषय में जानता नहीं या पता नहीं करता तब तक वह उसके लिए मात्र बाह्य आकर्षण या ऐंद्रिक सुख का विषय बन कर रह जायगा। इसलिए संग्रहालय की यह महत्त्वपूर्ण क्रिया है कि जिन सामग्रियों का वहाँ संकलन किया जाय उसके विषय में प्रत्येक दर्शक को प्राथमिक जानकारी (primary information) प्रदान करे और जो उसके विषय में जानना चाहे। विशेष रूप से उसके लिए भी अपने यहाँ व्यवस्था रखना होगा। इसके अभाव में उन मूर्त सामग्रियों का वह स्थान मात्र संकलन स्थल बन कर रह जायगा।

इसके लिए निम्नांकित क्रियाएँ की जाती हैं :-

(1) जो वस्तुएँ संग्रहालय कक्ष में लाकर रखी जाती हैं उनको सामान्य जनता के लिए बोधगम्य बनाने हेतु एक सूचक कार्ड (Label) लगा दिया जाता है। यह प्रायः प्रत्येक प्रदर्श के नीचे रखा होता है। कार्ड का आकार छोटा होना चाहिए। यह इस प्रकार का हो कि वह वस्तु की महत्ता को न तो अपने में समाहित कर ले और न वस्तु के साथ इसका अस्तित्व ही विलीन हो जाय। मोटे सफेद पतली दफ्ती का कार्ड एक सामान्य आकार का जो लम्बाई में चौड़ाई से अधिक हो लिया जाता है। उस पर प्रदर्श का नाम, काल और प्राप्ति स्थान अंकित होता है। नाम का अंकन तीन भाषाओं में किया जाता है — अन्तरराष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी में, राष्ट्रीय भाषा हिन्दी में तथा क्षेत्रीय भाषा जो भी हो उसमें। इसका काम यह होता है कि अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र के पर्यटक वहाँ बिना असुविधा के प्रदर्शों की जानकारी प्राप्त करते हैं। देश के निवासी चाहे वे किसी भी भाग के हों हिन्दी राष्ट्रभाषा होने के कारण, इससे परिचित अवश्य होते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो भारत में रहकर थोड़ी-बहुत हिन्दी न जानते हो, भले ही अंग्रेजी से उनका कोई सरोकार न हो या क्षेत्रीय भाषा से अपरिचित हों। उदाहरणार्थ अगर उत्तर का गृहस्थ तमिलनाडु में जायगा तो वह वहाँ की न क्षेत्रीय भाषा समझेगा, न अन्तरराष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी से परिचित होगा तो उसके लिए पदशों को देखकर मात्र लौटना ही हाथ लगेगा। इसलिए भारतीय संग्रहालयों में हिन्दी में लेबुल लगाना अत्यन्त आवश्यक है। क्षेत्रीय भाषा भी उतनी ही अनिवार्य है। प्रायः संग्रहालयों में जाने वाले अधिकांश लोग क्षेत्रीय ही होते हैं। अगर वे साधारण पढ़े-

लिखे होंगे जैसा साक्षरता में भारत आगे है तो क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान तो रखते ही होंगे। अतः इन तीनों प्रकार के दर्शकों के लिए तीन भाषाओं में सूचक कार्ड आवश्यक हैं। कहीं ऐसा भी सम्भव है कि विदेशी न पहुँचते हों तथा उनकी रुचि की सामग्रियाँ वहाँ अधिक न हों तो वहाँ के लिए द्विभाषीय कार्ड ही पर्याप्त होगा। तीन भाषा में अंकन क्रमशः एक के नीचे एक किए जाते हैं। इनको दर्शकों के लिए पठनीय बनाने के उद्देश्य से प्रायः काले चटक रंग की स्याही से सुलेख मोटे अक्षरों में लिखा जाता है। उनके नीचे प्रदर्श का काल भी लिखा होता है। इसमें काल का नाम जैसे शुंगकाल, मुगलकाल आदि तथा और भी सही पहुँच के लिए अनुभाषित तिथि जैसे लगभग प्रथम शती, ई० लिखा होना चाहिए। उसके आगे ब्राइकेट में (C./... A.D.) होता है। सबसे नीचे यदि प्राप्ति स्थान का पता हो तो उसका भी उल्लेख होता है यथा सारनाथ। आवश्यक होने पर प्रदर्श के आकार का भी माप दिया जाता है।

सूचक कार्ड का प्रारूप



यहाँ यह भी स्पष्ट समझना चाहिए कि कार्ड दो प्रकार के होते हैं अकेले या सामूहिक। जब एक समूह की सामग्री एक ही प्रकार की होती है तो सबके लिए एक ही कार्ड रखा जाता है। इनका एक और प्रयोग होता है। इनके द्वारा काल की निर्माण विशेषताएँ, इतिहास, विकास तथा समय का भी ज्ञान मिलता है।

(2) यह आवश्यक नहीं कि दर्शक इन कार्डों को पढ़ेगा ही। प्रायः लोग इसे बिना पढ़े ही प्रदर्श देखकर आगे बढ़ जाते हैं। इस स्थिति को ही वस्तु की ओर रुचि बढ़ाने हेतु गाइड-लेक्चरर (Guide-Lecturer) की नियुक्ति की जाती है। उसका कार्य चाहे अन्य जो भी हो पर प्रमुख कार्य है कि जो दर्शक दीर्घा में घूम रहे हैं उनको वस्तु (object) की पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। इस प्रकार दी गई जानकारी कार्ड की अपेक्षा व्यापक, आकर्षक एवं रुचिकर होती है। साथ ही, सीधे परिसंवाद के कारण शंकाएँ यदि कुछ होती हैं तो दूर हो जाती हैं। यदि कुछ अधिक जानकारी प्राप्त करना होता है तो उसे भी प्राप्त किया जा सकता है। पर, यह जानकारी वह तभी देता है जब एक समूह में एक वर्ग के लोग संग्रहालय के प्रदर्शों को किसी विशेष दृष्टिकोण से देख रहे हों। उदाहरणार्थ किसी विद्यालय के छात्र संग्रहालय देखने पहुँचेगे तो वहाँ गाइड-लेक्चरर इन्हें निर्देशन देगा।

(3) सामान्य दर्शक जो छिट-फुट रूप से संग्रहालय में घूमते हैं। उनके लिए प्रत्येक कक्ष में एक गैलरी-सहायक (Gallery-Assistant) होता है। उसका कार्य ही है ऐसे छिट-फुट दर्शकों की वस्तुओं की जानकारी देना जिसकी वह जानना चाहे। इसका क्षेत्र गाइड-लेक्चरर की अपेक्षा सीमित होता है। यह अपने कक्ष की ही जिम्मेदारी रखता है।

(4) उचित व्यवस्था के लिए किसी भी कक्ष विशेष के विद्यार्थियों के संग्रहालय दिखाने के

पूर्व यह बता देना चाहिए कि क्या वे देखने जा रहे हैं। इसके पीछे उनका दृष्टिकोण क्या है? फिर दिखाने के समय साथ-साथ उन्हें सारी बातें समझायी जायँ। वहाँ से लौटने पर उनके ज्ञान को पूर्ण करने तथा उन्हें अपने अनुसार व्याख्या करने का अवसर देने के लिए उनको उससे संबंधित कार्य (assignment) सौंपना चाहिए कि वे लिखकर, परस्पर विमर्श करके व्यक्त करें जो भी उन्होंने देखा है तथा उसको उन्होंने समझा है? पर, ऐसा करने के लिए आवश्यक है कि 20-25 छात्रों को वर्गों में विभक्त करके संग्रहालय ले जाकर दिखाया जाय कि अनुशासन भी बना रहे और सबको व्याख्या भी अलग-अलग अवसर भी दिया जा सके। एक साथ पूरी कक्षा को ले जाना उचित नहीं होगा।

(5) व्याख्या के लिए विविध प्रकार की विधियाँ सभी वर्गों के दर्शकों के हित के लिए अपनाई जा सकती हैं। इनमें प्रमुख है विविध रीति से भाषणों का आयोजन करना। कभी-कभी विद्वानों से भी प्रदर्शों के विशेष संदर्भ में भाषण कराया जाता है और कभी-कभी तैयार किए गए चित्रों (slides) को दिखाकर उनकी व्याख्या की जाती है। समय-समय पर सूचल-चित्रों (Motion-pictures) का आयोजन करके संगृहीत सामग्रियों में से किसी एक स्थल की खुदाई और वहाँ से प्राप्त सामग्रियाँ दिखाकर उसके संदर्भ में तथा प्राप्त प्रदर्शों की व्याख्या किया जाता है तथा उनकी विवरणका प्रस्तुत की जाती है। नृशास्त्रियों द्वारा संकलित उनके व्यवहार, वेशभूषा, आचार आदि भी दर्शाए जाते हैं।

(6) पाश्चात्य देशों में जहाँ लोग अधिक शिक्षित हैं वहाँ संग्रहालय दर्शनार्थियों के लिए एक नई विधि प्रयोग की जाती है। उनको गाइडोफोन (Guido-phone) संग्रहालय की ओर से प्रदान किया जाता है। यह एक छोटे बेतार द्वारा शब्द ग्रहण करने वाली मशीन (Wireless receiving sets) होती है जिसे आसानी से ले जाया जा सकता है (Portable)। इसको पीठ पर बाँधकर कक्ष में लोग चलते जाते हैं और रेकार्ड किया गया यंत्र चालित किया जाता है जिससे वे निर्देश सुनते हैं। पर अभी यह व्यवस्था भारतीय संग्रहालयों में चालू होना संभव नहीं है। इसके प्रयोग में आने में अभी काफी विलम्ब होगा।

(7) पढ़े-लिखे दर्शकों के लिए संग्रहालय हैण्डबुक, कैटलग आदि का प्रकाशन करता है। वे जब भी किसी संग्रहालय को देखने जाते हैं तो वहाँ इन पुस्तकों को अवश्य ही खरीद लेते हैं जिनके सहारे ज्ञान प्राप्त करते हुए संग्रहालय में बढ़ते हैं। इनके तैयार करने का दायित्व गाइड-लेक्चरर और क्यूरेटर (Curator) दोनों का होता है। इसीलिए प्रत्येक संग्रहालय के साथ एक अच्छा पुस्तकालय भी जुड़ा होता है।

□